KANNAUJ POLICE

दिनांक 11.05.2025 प्रेस नोट- सौरिख ।

थाना सौरिख पुलिस द्वारा दिनांक 04.05.2025 को ग्राम नगला दरियाय निवासी 50 वर्षीय महिला श्रीमती राजश्री उर्फ रजनी की थाना क्षेत्र बेवर मैनपुरी में हुई हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त स्वीफ्ट डिजायर कार नं0 UP 74 AC 0944 तथा मृतिका से लिया जेवर व 7,250 रुपये नगद किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री विनोद कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे ,क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ श्री मनोज कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सौरिख विष्णु कान्त तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना सौरिख पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मु0अ0सं0 197/2025 धारा 103(1)/238(क)/3(5) BNS थाना सौरिख जनपद कन्नौज सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.मो0 परवेज उर्फ अन्नू पुत्र मुन्ने खाँ निवासी किसई जगदीशपुर चौकी नादेमऊ थाना सौरिख जनपद कन्नौज हाल पता किराये का कमरा अजीत हास्टल कस्बा व थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 32 वर्ष 2.सुरजीत सिंह वैश्य उर्फ विजय सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सहरोई थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 30 वर्ष 3.रमजानी उर्फ दिलजानी पुत्र फिरोज खाँ नि0 सरदापुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 28 वर्ष को तरीन्द मोड सौरिख बिधूना रोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.05.2025 को अभिषेक पुत्र रामचन्द्र जाटव निवासी ग्राम नगला दरियाय(नादेमऊ) ने थाना सौरिख जनपद कन्नौज पर अपनी माता श्रीमती राजश्री के गुम हो जाने की सूचना दर्ज करायी गयी थी। दिनांक 04.05.2025 को ग्राम बाजपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी के बम्बा में गुमशुदा श्रीमती राजश्री उर्फ रजनी उपरोक्त का शव मिला। शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही थाना बेवर जनपद मैनपुरी द्वारा की गयी। मृतिका के पुत्र अभिषेक उपरोक्त के द्वारा पुनः दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सौरिख पर मु0अ0सं0 197/2025 धारा 103(1) BNS बनाम 1. मो0 परवेज उर्फ अन्नू पुत्र मुन्ने खाँ निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज 2. सुरजीत पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 10.05.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर तरीन्द मोड सौरिख बिधूना रोड पर चैकिंग के दौरान // एक सफेद रंग की कार स्वीफ्ट डिजायर नं0 UP 74 AC 0944 को रोका गया जिसमें 1. मो0 परवेज उर्फ अन्नू पुत्र मुन्ने खाँ निवासी किसई जगदीशपुर चौकी नादेमऊ थाना सौरिख जनपद कन्नौज 2. सुरजीत सिंह वैश्य उर्फ विजय सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सहरोई थाना सौरिख जनपद कन्नौज व 3. ड्राइवर रामजानी उर्फ दिलजानी पुत्र फिरोज खाँ निवासी सरदारपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज को साक्ष्य के आधार पर घटना में संलिप्त पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मृतिका से लिया गया 01 अदद अंगूठी पीली धातु, 01 अदद नाक की लौंग, 01 जोडी कान की बाली पीली धातु व 7,250 रुपये नगद बरामद किये गये। साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त रामजानी उपरोक्त के संदर्भ में मु0 उपरोक्त में धारा 238(क), 3(5) BNS की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण:—

सामुहिक रुप से पूछताछ करने पर अभियुक्त मो0 परवेज उर्फ अन्नू उपरोक्त ने बताया कि साहब ग्राम नगला दरियाय थाना सौरिख के रामचन्द्र के घर मेरा करीब 03 साल से आना जाना था। उसी दौरान मेरा रामचन्द्र की लड़की सोनी से आपस में बातचीत होने लगी। हम दोनो का प्रेम सम्बन्ध हो गया जब वर्ष 2022 में रामचन्द्र अपनी लड़की सोनी की शादी ग्राम बाजपुर थाना वेवर जनपद मैनपुरी के दलवीर सिंह के साथ कर दी थी। श्रीमती सोनी का पति पुलिस विभाग में नौकरी करता है। सोनी अपनी ससुराल से विवाद चल रहा था इसलिए वह मायके मे ज्यादा रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने हम लोगो को बातचीत करते हुये देख लिया तो उसने इसका काफी विरोध करते हुये मुझे घर आने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर मैंने दिनांक 30.04.2025 को श्रीमती राजश्री को रास्ते से हटाने के लिये अपने साथी सुरजीत सिंह उर्फ विजय सिंह के साथ मिलकर योजना बनाकर उसके पुत्र अभिषेक की नौकरी लगवाने के लिये उसकी माँ श्रीमती राजश्री जो सीएचसी सौरिख में आशाबहू के पद कर नौकरी करती है उसको बहाने से बुलाकर उससे जेवर व रुपये की मांग की जो उसने अपने पुत्र अभिषेक से मंगवाकर मुझे लाकर दिया फिर राजश्री को उसकी पुत्री के घर छोडने के बहाने मैने व सुरजीत ने रमजानी की कार मे बैठाकर हम लोग ले गये और रास्ते मे ग्राम बाजपुर के पास बम्बा पुलिया के पास दिनांक 04/05/2025 की रात करीब 07.30 बजे ले जाकर मैं व मेरा साथी सुरजीत उर्फ विजय सिंह श्रीमती राजश्री को कार से उतार लिया तथा उसकी हत्या कर दी, हत्या के समय सुरजीत ने राजश्री के दोनों हाथ पकडा था तथा मृतिका को पुलिया के नीचे ले जाकर पास पड़ी ईंट से राजश्री के सिर पर दो वार करके हत्या कर दी तथा ईंट को पास के मक्के के खेत में फेक दिया। कार चालक रमजानी उर्फ दिलजानी बम्बा पुलिया से आने जाने वाले लोगो को देख रहा था मैने मृतिका द्वारा पहने हुई नाक की लौंग व एक जोडी कान की बाली निकाल ली जिसमे से कुछ जेवरात हम लोगों ने राह चलते व्यक्ति को तथा एक सुनार को बेंचकर रुपये आपस में बांट लिये थे कुछ जेवरात बचे है। और फिर हम लोग शव को वही छोडकर भाग गये।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता:-

1.मो0 परवेज उर्फ अन्नू पुत्र मुन्ने खाँ निवासी किसई जगदीशपुर चौकी नादेमऊ थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 32 वर्ष

2. सुरजीत सिंह वैश्य उर्फ विजय सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सहरोई थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 30 वर्ष

3. रमजानी उर्फ दिलजानी पुत्र फिरोज खाँ नि0 सरदारपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद पीली धातु की अंगूठी
2. 01 अदद पीली धातु की नाक की लौंग
3. 7,250 रुपये नगद
4. घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्वीफ्ट डिजायर गाडी नं0 UP 74 AC 0944

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण:-

प्रभारी निरीक्षक सौरिख विष्णु कान्त तिवारी
उ0नि0 चन्द्रभान सिंह
हे0का0 हरिओम शुक्ला
हे0का0 कौशल दौनेरिया

पुलिस